



☒ POLICE CRACKDOWN
जनपद गाजियाबाद..... ☒
दिनांक 31 मई 2022

☒ एसओजी ग्रामीण एवं थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश "25 हजार का इनामी" पैर में गोली लगने से घायल घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र एब अपाची बाइक सहित गिरफ्तार तथा अन्य 01 साथी फरार ☒

● कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 31.05.2022 को एसओजी टीम एसपी ग्रामीण एब थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गंग नहर की पटरी से मसूरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर बिना नम्बर अपाची बाइक सवार अपराधियों एवं एसओजी ग्रामीण तथा मुरादनगर पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान आमिर पुत्र नबाब निवासी मौ० मेवातियान थाना दादरी गौतम बुध नगर घायल हुआ है जो थाना मुरादनगर गाजियाबाद से मु.अ.सं. 254/2021 धारा 307 IPC में वांछित चल रहा था गिरफ्तार अभियुक्त पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था तथा गिरफ्तार अभियुक्त आमिर हरियाणा करनाल के थाना सिटी/थाना मधुबन/सेक्टर 9/से करीब 7 अभियोगों में वांछित चल रहा है अभियुक्त आमिर पर करीब एक दर्जन से अधिक लूट/चोरी/ हत्या का प्रयास आदि के अभियोग जनपद गौतम बुध नगर/गाजियाबाद/करनाल हरियाणा में पंजीकृत है तथा अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ☐

☐ पृष्ठताछ का विवरण

मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त आमिर ने बताया कि मैं और मेरे अन्य साथी शमशाद काला एवं नौशाद ने मिलकर करनाल हरियाणा में ई-रिक्शा एवं गाड़ियों एवं जनरेटर की ताबड़तोड़ बैटरी चोरी करने की घटनाएं कारित की थी जिसमें मेरा साथी नौशाद पकड़ा गया था और भारी मात्रा में बैटरी एब गाड़ी बरामद हुई थी जिसमें मे और मेरा साथी शमशाद काला फरार हो गए थे तब से हम दोनों बराबर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तथा 2021 में थाना मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के उद्देश्य से हमला किया था लेकिन वह बाल-बाल बच गया था

●

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

- 1-आमिर पुत्र नबाब निवासी मौ० मेवातियान थाना दादरी गौतम बुध नगर (घायल)
- 2- शमशाद उर्फ काला पुत्र इलियास निवासी मुरादनगर गाजियाबाद (फरार)

बरामदगी का विवरण

- 1-एक तमंचा 315 बोर मय जिंदा ब खोखा कारतूस
- 2-01 मोटरसाइकिल अपाची

अपराधिक इतिहास ○

आमिर पुत्र नबाब निवासी मोहल्ला मेवातियान थाना दादरी नोएडा

- 1- मु.अ.सं.387/2016 धारा 392/411 IPC थाना दादरी नोएडा
- 2- मु.अ.सं.388/2016 धारा 379/411 IPC थाना दादरी नोएडा
- 3- मु.अ.सं.394/2016 धारा 414/420 IPC थाना दादरी नोएडा
- 4- मु.अ.सं.232/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी नोएडा
- 5- मु.अ.सं.254/2021 धारा 307/323/427/504/506 IPC थाना मुरादनगर गाजियाबाद (फरार)
- 7- मु.अ.सं.179/2022 धारा 379/34 IPC थाना शहर करनाल हरियाणा (फरार)
- 8- मु.अ.सं.177/2022 धारा 379/34 IPC थाना शहर करनाल हरियाणा (फरार)
- 9- मु.अ.सं.178/2022 धारा 379/34 IPC थाना शहर करनाल हरियाणा (फरार)
- 10- मु.अ.सं.181/2022 धारा 379/34 IPC थाना शहर करनाल हरियाणा (फरार)
- 11- मु.अ.सं.72/2022 धारा 379/34 IPC थाना मधुबन करनाल हरियाणा (फरार)
- 12- मु.अ.सं.82/2022 धारा 379/34 IPC थाना मधुबन करनाल हरियाणा (फरार)

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1-एसओजी टीम एसपी ग्रामीण महोदय

2-थाना मुरादनगर पुलिस

मसूरी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे 03 नफर अभियुक्त 01 तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार

दिनांक:- 31.05.22

कार्यवाही:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-गाजियाबाद श्री मुनिराज द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री आकाश पटेल के पर्यवेक्षण में दि0 31.05.22 को प्रभारी निरीक्षक योगेन्द्र सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 338/2022 धारा 307/323/504/506/34 भादवि में पूर्व से वांछित चल रहे अभि0गण (1) जाहिद उर्फ रुबल पुत्र रहीसुद्दीन निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष (2) शाहिद पुत्र रहीसुद्दीन निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष (3) दानिश पुत्र हनीफ निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर देव हाइट्स के पास डासना से गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें अभि0 जाहिद उर्फ रुबल पुत्र रहीसुद्दीन उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा .315 बोर नाजायज व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 383/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम जाहिद उर्फ रुबल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 20.05.2022 को श्री सलमान पुत्र वहीद निवासी भोजपुर थाना भोजपुर गा0बाद द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 19.05.2022 को उनके पिता के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मु0अ0स0 338/2022 धारा 307/323/504/506/34 भादवि बनाम जाहिद उर्फ रुबल आदि 04 नफर अभियुक्त पंजीकृत कराया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभि0गण (1) जाहिद उर्फ रुबल पुत्र रहीसुद्दीन (2) शाहिद पुत्र रहीसुद्दीन (3) दानिश पुत्र हनीफ को दिनांक 31.05.2022 को समय 07.45 बजे मुखबिर की सूचना पर देव हाइट्स सोसाईटी के पीछे डासना से गिरफ्तार किया गया। दौरान चैकिंग अभियुक्त जाहिद उर्फ रुबल उपरोक्त के कब्जे से दिनांक 19.05.2022 की घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा नाजायज .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 383/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम जाहिद उर्फ रुबल उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- (1) जाहिद उर्फ रुबल पुत्र रहीसुद्दीन निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 23 वर्ष
- (2) शाहिद पुत्र रहीसुद्दीन निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 25 वर्ष
- (3) दानिश पुत्र हनीफ निवासी जीटी रोड नई आबादी मीर भोज कॉलेज के सामने कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- (1) 01 अदद देशी तमंचा नाजायज 0.315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

- (1) मु0अ0स0 338/2022 धारा 307/323/504/506/34 भादवि बनाम जाहिद उर्फ रुबल आदि 04 नफर।
- (2) मु0अ0स0 383/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जाहिद उर्फ रुबल

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 1 अदद चाकू नाजायज बरामद ।

दिनांक 31.05.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 31/05/2022 समय 05.45 बजे मूवी पैलेश के सामने शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ नवीन को मय एक अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त उपरोक्त से चाकू नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद गाजियाबाद पर मु0अ0स0 764/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रियाजुद्दीन पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

रियाजुद्दीन उर्फ नवीन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मूल पता डी 307 गली न0 6 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गा0बाद हाल पता हतीम थाना कोतवाली नगर जनपद पलवल हरियाणा उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 764/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रियाजुद्दीन उर्फ नवीन

बरामदगी का विवरण

1 अदद चाकू नाजायज



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 01 वाँछित भूमाफिया टाप टैन अभि0 गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 31.05.2022 को समय करीब 13:10 बजे मुखबिर की सूचना 01 वाँछित/टाप टैन/भूमाफिया अभि0 1.गौरव राणा पुत्र स्व0 वीर सिंह नि0-म0न0 27 ग्रीन पार्क कालोनी चिपयाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर को कृष्णा इन्टर कालेज के पास थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1. गौरव राणा पुत्र स्व० वीर सिंह नि०-म०न० 27 ग्रीन पार्क कालोनी चिपयाना बुजुर्ग थाना बिसरख जनपद
गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय

स्थान - कृष्णा इन्टर कालेज के पास थाना विजयनगर क्षेत्र

दिनांक व समय – 31.05.2022 समय 13:10 बजे

गिरफ्तार अभि० का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 0057/2016 धारा 380/447/452/504/506/511 भादवि
2. मु०अ०सं० 2071/2018 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि
3. मु०अ०सं० 0461/2019 धारा 406/420/427/506 भादवि
4. मु०अ०सं० 0756/2019 धारा 420/467/468/471/406/323/504/506 भादवि
5. मु०अ०सं० 0439/2020 धारा 147/323/420/467/447/471/506 भादवि
6. मु०अ०सं० 0317/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
7. मु०अ०सं० 0179/2021 धारा 147/148/149/323/506/447/420/467/468/471भादवि



प्रेस नोट

दिनांक- 31.05.2022----- थाना कविनगर (गाजियाबाद)

थाना कविनगर पुलिस द्वारा चैन स्नेचिंग व हत्या का प्रयास करने वाली घटना को अंजाम देने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट में प्रयुक्त मोटर साईकिल व लूटी गयी चैन बरामद

!

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा लूट/चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा चैकिंग को दौरान मोटर साईकिल से छिनैती व हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासी नंगला हुलसा थाना खंदौली जिला आगरा को प्रीतम फार्म के सामने थाना क्षेत्र कविनगर से आज दिनांक 31.05.22 को घटना प्रयुक्त मोटर साईकिल HONDA X BLEDE नं0 DL5SCD 0953 (फर्जी नं0) के व लूटी गयी चैन सहित गिरफ्तार किया गया उसका एक अन्य साथी कमल पुत्र देवीदास निवासी सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.05.22 को वादी मुकदमा श्री शिलेन्द्र सिंह व श्री सिद्धार्थ चौधरी, प्रीतम फार्म के सामने थाना कविनगर में किसी काम से जा रहे थे तभी मोटर साईकिल HONDA X BLEDE नं0 DL5SCD 0953 पर सवार दो बदामश

आये तथा श्री शिलेन्द्र सिंह से उनके गली की सोने की चैन छीन ली तथा मौके से भागने लगे, जिनका गाडी से पीछा किया गया तथा पकड़ने का प्रयास किया गया तो मोटर साईकिल सवार बदमाशो ने श्री सिद्धार्थ चौधरी पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया तथा मौके से एक बदमाश हथियार लेकर गया भाग गया उक्त घटना की सूचना थाना कविनगर पुलिस को प्राप्त होने पर थाना कविनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर वादी मुकदमा श्री शिलेन्द्र सिंह व सिद्धार्थ चौधरी की मदद से एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया जिसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासी नंगला हुलसा थाना खंदौली जिला आगरा बताया तथा भागे हुए साथी अभियुक्त का नाम कमल पुत्र देवीदास निवासी सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद बताया। अभियुक्त से बरामद मोटर साईकिल के नम्बर को चैक किया गया तो उक्त नं0 DL5SCD 0953 फर्जी पाया गया, जिसको एप पर चैक करने पर मोटर साईकिल का सही नं0 UP80FY 7226 पाया गया। दोनो अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 683/22 धारा 392/411/482 भादवि मु0अ0सं0 684/22 धारा 307 भादवि पंजीकृत किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस को चकमा देने के लिए बरामद मोटर साईकिल HONDA X BLEDE पर फर्जी नं0 DL5SCD 0953 की प्लेट लगा रखी थी जिसका सही नं0 UP80FY 7226 है से चैन स्नैचिंग जैसी जघन्य घटनाओ को अंजाम दिया जा रहा था उपरोक्त अभियुक्त पूर्व मे भी थाना खंदौली जिला आगरा से व जनपद गाजियाबाद के थाना विजयनगर से भी जेल जा चुका है जिसके अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सोनू उर्फ सोहनवीर पुत्र रमेश चन्द्र निवासी नंगला हुलसा थाना खंदौली जिला आगरा उम्र करीब 48 वर्ष।

नाम पता फरार अभियुक्त –

कमल पुत्र देवीदास निवासी सुदामापुरी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त सोनू उर्फ सोहनवीर उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 683/22 धारा 392/411/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 684/22 धारा 307 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 383/18 धारा 295ए/504/506 भादवि थाना खंदौली जिला आगरा।

अभियुक्त के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 683/22 से सम्बन्धित लूटी गयी चैन

घटना मे प्रयुक्त DL5SCD 0953 (फर्जी नं०) जिसका सही नं० UP80 FY 7226 है।

